न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।
उपस्थितः ओम प्रकाश मिश्र–III [H.J.S.] J.O.Code U.P. 2671
UPAZ010051622026

Bail Application/2135/2026

1. इश्तियाक, उम्र 55 वर्ष, पुत्र मो० आयूब
2. मो० आतिफ, उम्र 30 वर्ष, पुत्र इश्तियाक
साकिनान– मुजफ्फरपुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ० प्र० सरकार ---विपक्षी।

मु०अ० सं०– 103/2026
धारा– 109(1), 352 बी०एन०एस०,
थाना– गम्भीरपुर, जनपद– आजमगढ़।

दिनांक–02.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण इश्तियाक व मो० आतिफ की ओर से मय शपथ पत्र मुकदमा अपराध संख्या– 103/2026, अन्तर्गत धारा– 109(1), 352 बी०एन०एस०, के प्रकरण में जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत होकर सुनवाई हेतु आज नियत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में मुस्तकिल का शपथ पत्र दाखिल कर सशपथ कथन किया गया है कि प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में दिये गये सभी तथ्य उसकी निजी जानकारी में सही व सच है न तो झूठ है न ही छिपायी गयी है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि स्थान ग्राम मुजफ्फरपुर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ में दिनांक 07.05.2026 को सुबह 06.30 बजे, वादी मुकदमा के भतीजे इश्तियाक पुत्र मो० अयूब, उसकी पत्नी दिलजहां तथा उसका लड़का मो० आतिफ ने मिलकर जमीन बंटवारे को लेकर गाली गलौज देते हुए वादी मुकदमा के ऊपर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिये, जिससे वादी मुकदमा के सिर व गले पर प्राणघातक चोट आयी है।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को रंजिश बश अभियोजन कहानी फर्जी गढ़ कर प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 6 घंटे अति विलम्ब से दर्ज करवायी गयी है। जिसका युक्त युक्त स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण की कोई स्पेशिफिक भूमिका प्रथम सुचना रिपोर्ट व साक्षीगण के बयान 180 BNSS में नहीं बतायी गयी है, बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 3 व्यक्तियों द्वारा चाकू से मारना कहा गया है। जबकि आहत को कुल मात्र 2 चोट आघात आख्या में अंकित है। चिकत्सीय आख्या के अनुसार आहत को चाकू से कोई चोट आना अंकित नहीं है। आहत के कथित गले की चोट चमड़ी के सतह पर साधारण प्रकृति की चोट कुंद आला से आना अंकित है। प्रार्थीगण के

Digitally signed by OM PRAKASH MISHRA
Date: 2026.06.02 19:27:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरुद्ध धारा 109 B.N.S. का अपराध आयत नहीं होता है। शेष धारा जमानतीय है। प्रार्थी इश्तियाक 55 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। तथा मधुमेय व हृदय रोग से पीड़ित है। प्रार्थीगण व वादी मुकदमा के मध्य बंटवारे से सम्बन्धित रंजिश को लेकर वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कहानी फर्जी गढ़ कर एवं स्वयं चोट बनाया है, जिसको वादी मुकदमा द्वारा स्वयं अन्य परिवार जनों से बताया गया है। जिसकी वीडियो है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण जमानत का दुरपयोग नहीं करेंगे, न तो अभियोजन साक्ष्य व साक्षीगण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। सहअभियुक्ता दिलजहाँ की जमानत श्रीमान के न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थीगण का इस प्रकार का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 07/05/2026 से मण्डल कारागार आज़मगढ़ में निरुद्ध हैं। प्रार्थीगण की जमानत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। प्रार्थीगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है, इसके सिवाय किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाय।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. उभयपक्षों को सुनने तथा उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 07.05.2026 को शाम 06.30 बजे की बताई गई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन रात्रि 12.29 बजे दर्ज हुई है। यद्यपि प्राथमिकी में विलम्ब मात्र से अभियोजन कथानक को इस स्तर पर पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता तथापि जमानत के स्तर पर उक्त विलम्ब एक विचारणीय परिस्थिति अवश्य है। प्राथमिकी में अभियुक्तगण सहित अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध वादी मुकदमा को सामूहिक रूप से गाली गुप्ता देते हुए जान मारने की नीयत से चाकू से चोट पहुंचाने का आरोप है। आवेदकगण की कोई पृथक एवं निर्णायक भूमिका स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। अभियोजन कथानक में तीन व्यक्तियों द्वारा चाकू से वार करने का कथन है, परंतु चिकित्सीय आख्या में घायल को दो चोटें प्राप्त होना अंकित है। चिकित्सीय आख्या के अनुसार आहत को कुल दो चोटें हार्ड एण्ड ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना अंकित है। चोटों की प्रकृति, प्रहार का वास्तविक स्वरूप, प्रयुक्त हथियार, आशय तथा धारा 109(1) बी०एन०एस० का अन्तिम उद्धेश्य ऐसे विषय हैं, जिनका परीक्षण विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर किया जाना उचित होगा। जमानत के स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य का सूक्ष्म परीक्षण नहीं करना है और वाद के गुण दोष पर कोई अन्तिम निष्कर्ष देना है। प्रस्तुत प्रकरण में सहअभियुक्ता की पूर्व में जमानत स्वीकृत हो चुकी है। अभियोजन की तरफ से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी में विलम्ब, चिकित्सीय आख्या में मात्र दो चोटों का अंकन, आवेदकगण की पृथक एवं विशिष्ट भूमिका का स्पष्ट अभाव, आवेदकगण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की संभावना तथा समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए

मामले के गुणदोष पर बिना कोई विचार व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण इश्तियाक व मो० आतिफ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा मुब०–50,000/– (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त छोड़ा जाये–

(i) आवेदकगण/अभियुक्तगण विवेचना व विचारण में सहयोग करेंगे तथा अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।

(ii) आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।

(iii) आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप विरचन, बयान अंतर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० हेतु नियत तिथि पर अथवा न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदकगण/अभियुक्तगण भविष्य में इस तरह के किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त निर्धारित किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में विचारण न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–02.06.2026

(ओम प्रकाश मिश्र–III)
J.O.Code U.P. 2671
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।